



Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(117)/NRHM/CSR/IHRMS/779

Date: 31/03/2018

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनएचएम महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2018 को आयोजित पीआईपी 2018-19 की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2018 से आयोजित होने वाली समस्त ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) हेतु CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा जनित TMIS ID अनिवार्य होगी। अतः सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी ट्रेनिंग आदेशों में TMIS ID लिखना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु सलाहकार आईटी / सलाहकार ट्रेनिंग / डीएनओ सीएसआर / सीनियर रिसर्च अधिकारी SIHFW से सम्पर्क करें।

प्रीति त्राथुर
परियोजना निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चि0स्वा0प0क0 एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, निदेशक जन-स्वास्थ्य / परिवार कल्याण।
6. निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना डूंगरी जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित / अराजपत्रित / चिकित्सा प्रशासन / ग्रामीण स्वास्थ्य / आरसीएच।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम / अनुभाग अधिकारी (एचआर)।
9. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य / शिशु स्वास्थ्य / परिवार कल्याण / टीकाकरण / एमएमजेआरके / आरबीएसके / पीसीपीएनडीटी।
10. राज्य नोडल अधिकारी इन्वेन्ट्री / यूएचसी / क्वालिटी एश्योरेंस / समस्त सलाहकार एवं कार्यक्रम अधिकारी, एनएचएम / एनयूएचएम / सहायक निदेशक आयुष।
11. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)।
12. सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी NRHM/ NUHM/ समस्त राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (संचारी एवं गैर संचारी) NMHP/ NPHCE/ NTCP/ NPCDCS/ NPPCD/ NOHP/ NPPCF/ NPCB/ RNTCP/ NLEP/ NVBDCP/ IDSP/ NIDDCP.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
14. समस्त डीपीएम एनएचएम / एनयूएचएम।
15. M/s Abesseys Technologies India Pvt. Ltd. Jaipur
16. प्रभारी सर्वर रूम ई-मेल हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एनएचएम



CHRIS

(Computerised Human Resource Information System)
National Health Mission, Rajasthan

दिनांक :-31.03.2018

CHRIS (www.chrisnrhm.org) एक वेब-बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पीआईपी कंडीशनलिटी को पूर्ण करने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ सीएचसी/ पीएचसी आदि पर कार्यरत संविदा कर्मियों का डाटाबेस बनाया गया है। साथ ही चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत नियमित चिकित्सकों व पैरामेडिकल कर्मचारियों का डाटाबेस भी बनाया गया है, उक्त डाटाबेस को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। अब तक कुल 10877 संविदा कर्मियों, 6568 नियमित चिकित्सकों व 31101 पैरामेडिकल कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध है, जिससे किसी भी चिकित्सा संस्थान पर कुल कितना स्टॉफ (संविदा एवं नियमित) उपलब्ध है कि सूचना का पता लगाया जा सकता है।

CHRIS सॉफ्टवेयर में एसएमएस (Short Message Service - SMS) सेवा एकीकृत (Integrated) हैं, साथ ही कई प्रकार की उपयोगी रिपोर्ट्स एवं कर्मचारी रजिस्टर भी उपलब्ध है, जिससे मानव संसाधन के प्रबन्धन में सुधार एवं पारदर्शिता आयी है।

CHRIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिमाह संविदा कार्मिकों का मासिक मानदेय को अद्यतन कर, भुगतान स्वीकृती जारी की जाती है एवं भारत सरकार के PFMS (Public Finance Management System - <https://pfms.nic.in>) सिस्टम द्वारा कार्मिकों के आधार लिंक बैंक खाते में स्वीकृत राशि का भुगतान किया जाता है। उक्त गतिविधि राज्य स्तर से जारी निर्देशानुसार समयानुसार की जाती है, जिससे प्रबन्धन पारदर्शी एवं उत्तरदायी (Accountable) हुआ है। CHRIS सॉफ्टवेयर के बेहतर उपयोग हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्मिकों को दिये गये प्रशिक्षण (Training) सम्बन्धित डाटाबेस भी तैयार किया जा सकेगा। जिससे प्रशिक्षित चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों एवं संविदा कार्मिकों की सूचना उपलब्ध हो सके। इस हेतु CHRIS सॉफ्टवेयर द्वारा जनित TMIS ID (Training Management Information System ID Number - 20xxxxxxxxxx00xx3) को प्रशिक्षण आदेशों पर लिखना अनिवार्य होगा जो कि दिनांक 01/04/2018 उपरान्त समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये लागू होगा।

अधिक जानकारी के लिये राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम/ सलाहकार आईटी, एनएचएम / सलाहकार ट्रेनिंग, एनएचएम/ डीएनओ सीएसआर, एनएचएम/ सीनियर रिसर्च अधिकारी, SIHFW से सम्पर्क करें।